

तारीख हुकम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज कोर्ट (नालपाडा)

26/1/24

उभय पक्षा उपस्थित पीठारीन अधिकारी राज...
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अव. पत्रावली दिनांक 24/1/24 का पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी करेडा

24/1/24

उभय पक्षा उपस्थित पीठारीन अधिकारी राज...
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अव. पत्रावली दिनांक 24/1/24 का पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी करेडा

17/2/2025

पत्रावली पेश हुई, अधिष्ठ गवर्नी उक्त
विपरी को वाच्यता दायर 5000 रु
नेगीरु के सुक्ति किया जिसे 1 माह
से अधिष्ठ समय व्यतीत हो चुका है
आज भी विपरीत में। अनुष्ठ, व्यापक
द्वारा विपरीत में। को नई प्रतीक
आवाजे लगवर्ष गयी, अनुपस्थित रहने
से विपरीत में। के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं
अधिष्ठ गवर्नी से शाप पर चर्चा
हो गिरेडन किया, वधम गवर्नी मुनी
गयी, मामला कृषि आराजिगत के
दुरुस्वत्व के निवारण का चर्चा
शाप 0929 स. धारा 151 CPC
स्वीका योग्य दृष्टता है, अतः शापना
0929 स. धारा 151 CPC (नीका
किया जाता है, प्रकरण मूल 95

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
करेडा (भीलवाडा)

ने. ३ विस डी. ३५ सिंह
या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
पु.स. २५५/२०२३

नम्बर के तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उ. ५७/१७ के साथ संलग्न है।
पञ्जापती केसल शुमार देकर डी. ३५
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेडा